न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/265

1. इन्द्राज मल सैनी पुत्र बालूराम सैनी,
2. मंगल चन्द सैनी पुत्र हनुमान प्रसाद सैनी,
3. जय दयाल सैनी पुत्र बालूराम सैनी,
4. राजू सैनी पुत्र श्री बालूराम सैनी,
5. हनुमान सैनी पुत्र श्री बचनाराम सैनी,
6. केसरी सैनी पत्नी श्री मंगल सैनी,
7. नाथी सैनी पत्नी हनुमान सैनी,
8. संतोष कुमार सैनी पुत्र नेतराम सैनी,
9. पूरण सैनी पुत्र नेतराम सैनी,
10. विमला पत्नी सूणाराम सैनी,
11. श्योपाली पत्नी धनसीराम सैनी,
12. मंजू देवी पत्नी बजरंग लाल सैनी,
13. बजरंग लाल सैनी पुत्र हनुमान सैनी,
14. मुन्नी पत्नी इन्द्राज मल सैनी,
15. लूणी देवी पत्नी नेतराम सैनी,

समस्त निवासीयान ढाणी बाड़ी, बनियाला नगर, तन मावन्डा कलां, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत मांकडी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत मांकडी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान।

— रेस्पोडेन्ट्स

3. सजना देवी पुत्री नेतराम माली,
4. संदीप पुत्र बुद्धराम माली,
5. सावित्री देवी पुत्री नेतराम माली,
6. फूलाराम पुत्र बचनाराम,
   निवासी ढाणी बाड़ी, बनियाला नगर, तन मावन्डा कलां, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान।
7. धर्मपाल यादव पुत्र श्री गणेशराम निवासीढाणी बाड़ी, बनियाला नगर, तन मावन्डा कलां, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान।

— तरतीबी/रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर निर्णय दिनांक 20.11.2021 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 एल.आर.एक्ट मुकदमा नंबर 1775/2021 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री राकेश शेखावत, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री सुमेर सिंह बडसरा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 व 7 की ओर से।
4. श्री नवीन निठारवाल, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 5 की ओर से।
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :— 16.10.2025

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 20.11.2021 के खिलाफ

प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 25.04.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प मांकडी में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु ग्राम बणियालानगर पटवार मण्डल मांकडी स्थित भूमि खसरा नम्बर 62 में होता हुआ ढाणी दीनाकाला से नदी की और का प्रस्ताव, राजस्व रिकार्ड मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया। उक्त रास्ता मौके पर बारहमासी चलना बताया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है कि संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एवं नक्शे में तरमीम की जावें गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2021 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 20.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 20.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट संख्या 01 लगायत 03 व 5 से 7 एवं 10 से 14 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम व रिकॉर्ड के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। मौजूदा प्रकरण में अपीलांट्स आराजी भूमि खसरा नम्बर 62 के रिकॉर्डेड खातेदार टेनेन्ट है एवं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर ना तो ग्राम पंचायत मांकड़ी के द्वारा राजस्व अभिलेख में गैरमुमकिन रास्ते का अंकन के लिए दिया गया, ओर दिये गए प्रस्ताव व अंकन की कार्यवाही के लिए अनापत्ति के सम्बन्ध में भी मौजूदा अपीलांट्स को किसी प्रकार की कोई सूचना व सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही एकतरफा तौर पर ग्राम पंचायत मांकड़ी द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना व अनापत्ति दिया जाना भी अपीलांट्स के पीठ पीछे पारित किया गया है जो कि कानून के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही होने से न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से उक्त कार्यवाही निरस्त होने योग्य है। तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा प्रचलित रास्ते व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उक्त प्रस्ताव में भी सम्बन्धित खातेदार खसरा नं. 62 के (मौजूदा अपीलांट्स) इन्द्रराज व अन्य को नोटिस दिये बिना ही व उनको सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही प्रस्ताव उपखण्डं अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव व प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत रास्ता प्रकरण संख्या 1775/2021 में भी उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् इस बात की कोई जांच नहीं गई कि खसरा नं. 62 के खातेदारान को किसी प्रकार की कोई सूचना या सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है एवं मौजूदा प्रार्थना पत्र में भी (अपीलांट्स) को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना ही उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2021 को पारित किया गया है एवं उक्त आदेश में गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने व नक्शे में तरमीम किये जाने के साथ गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में रहेगी। उक्त आदेश परस्पर विरोधाभाषी व विधि के प्रावधानों के विपरीत मनमाने तौर पर पारित किये गये है जो निरस्त होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में इस विधिक तथ्य की अनदेखी की है कि किसी रिकॉर्डेड खातेदार की खातेदारी भूमि में से यदि रास्ते के उपयोग हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर उक्त खातेदार को पक्षकार बनाया जाकर व डी.एल.सी. की रेट के अनुसार भूमि का मुआवजा दिया जाना प्रावधित किया गया है एवं उक्त कार्यवाही राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 251ए के प्रावधानों के अनुसार ही खातेदार की भूमि में से भूमि ली जाकर रास्ता कायम किया जा सकता है। उपरोक्त कानूनी प्रावधानों की पालना किये बिना ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश में अपीलांट्स को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उन्हें पक्षकार बनाये बिना ही व विधि के प्रावधानों की पालना किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो कि आरंभ से ही अपूर्ण व विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया है कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि को अलग से खसरा नंबर कायम कर नामान्तकरण रास्ता अलग से कायम किये जाने व नक्शे में तरमीम की जावें साथ ही यह भी अंकित किया कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में रहेगी। उपखण्ड अधिकारी जी का यह आदेश गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में रहेगी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। चूंकि गैर मुमकिन रास्ता, गैर मुमकिन नदी, गैर मुमकिन पहाड सभी सार्वजनिक भूमि होती है जिनका खातेदारी में अंकन सरकार के नाम से ही होता है। उक्त गैर मुमकिन किसी भी खातेदार के खातेदारी में अंकित नहीं हो सकती इसलिए उपखण्ड अधिकारी का आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत है एवं विरोधाभाषी होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 20.11.2021 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट्स सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट्स को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलांट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 20.11.2021 उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर को निरस्त किया जावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट्स के अधिवक्ता ने अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील जो कि उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं क्योंकि उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने

के पूर्व उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई का कोई नोटिस व मौका दिये बिना ही जैर अपील आदेश पारित करते हुए गैर मुमकिन रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के बाबत पारित किये गए। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, सीकर के द्वारा पारित आदेश प्रार्थीगण अपीलान्टस की खातेदारी भूमि में पारित किये गए है एवं प्रार्थीगण/अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार होने व इनको पक्षकार बनाए बिना ही व नोटिस सुनवाई का मौका दिए बिना ही उक्त आदेश पारित किया गया है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरित है किसी भी पक्षकार के विरूद्ध किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही में उसे पक्षकार बनाते हुए व नोटिस दिया जाकर साक्ष्य व सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान करना न्यायहित में आवश्यक है। मौजूदा प्रकरण में प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स वादग्रस्त भूमि के खातेदार टीनेन्ट है एवं उनकी आराजी खातेदारी भूमि में गैर मुमकिन रास्ते का अंकन कर राजस्व रिकार्ड में भी अंकन करने के आदेश बिना प्रार्थीगण को सुने ही एक तरफा तौर पर पारित किये गये है जबकि उक्त कार्यवाही में प्रार्थीगण को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के पारित होने की जानकारी प्रार्थीगण को नही थी चूंकि पुनः कोई नोटिस व सुनवाई का मौका नही दिया गया था। प्रथम बार आदेश की जानकारी दिनांक 08.04.2022 को हुई जिस पर प्रार्थीगण द्वारा नकल हेतु आवेदन दिया गया व दिनांक 11.04.2022 को उक्त नकल प्राप्त होने के पश्चात उनके द्वारा अभिभाषक से सम्पर्क किया गया जिस पर अभिभाषक जी ने आदेश दिनांक 20.11.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी जिस पर प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2021 के विरूद्ध जानकारी होने के साथ ही अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील में चूंकि प्रार्थीगण को पक्षकार नही बनाया गया था इसलिए अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सी.पी.सी बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण को अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के द्वारा दिनांक 20.11.2021 को पारित किया गया है उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष मौजूदा प्रार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया एवं उक्त आदेश की जानकारी होने के तुरन्त पश्चात ही जानकारी से अपील माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.04.2022 को प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के पश्चात उनके द्वारा आदेश की नकल हेतु दिनांक 08.04.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया व नकल दिनांक 11.08.2022 को प्राप्त हुई उसके पश्चात प्रार्थीगण ने अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया जिस पर मौजूदा अपील माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.04.2022 को प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5, मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में उपरोक्त वर्णित कारणो को दृष्टिगत करते हुए अपील प्रस्तुत होने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर व दिनांक 20.11.2021 से दिनांक 25.04.2022 को अपील प्रस्तुत करने की अवधि का मुजरा दिया जाकर अपील को जानकारी से अन्दर अवधि शुमार किया जावें।

6. अपीलान्ट संख्या 4, 8, 9 व 15 ने लिखित बहस पेश कर मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर में एक अपील अंतर्गत धारा–75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरुद्ध आदेश दिनांक 20.11.2021 प्रकरण संख्या 1775/2021 द्वारा पारित उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर के आदेश के विरुद्ध पेश की गई थी। जिसमें प्रार्थीगण को अपीलान्ट संख्या 4, 8, 9 और 15 पुराना अपील संख्या 69/2022 और नया अपील संख्या 265/2025 नाम दर्ज है। अपीलान्ट खसरा नंबर 62 रकबा 2.20 हेक्टर के खातेदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिनका राजस्व रिकॉर्ड और जमाबंदी रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है तथा अपने हिस्से की भूमि में कब्जा काश्त खातेदार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत मांकड़ी द्वारा सर्व सहमति से प्रस्ताव ग्राम पंचायत कोरम द्वारा सर्व सहमति से प्रस्ताव संख्या–3 दिनांक 02.10.2021 को लिया गया था कि ढाणी दीनाकाली बनियाला नगर से नदी की और पुराना प्रचलित बाहरमासी रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में कटान करने बाबत लिया गया था तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है जिसमें हम खातेदार रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत सहमत हैं जिसकी फर्द मौका नक्शा रिपोर्ट हल्का पटवारी, मांकड़ी, गिरदावर सर्किल मंडोली और तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने के उपरांत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा दिनांक 20.11.2021 को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकन का आदेश दिया गया ख. नं. 62 रकबा 2.20 हेक्टर भूमि बारानी 2 में बाहरमासी प्रचलित रास्ता भूमि में न्यायालय आदेशानुसार नामांतकरण संख्या 145 दिनांक 18.01.2022 को दर्ज किया गया तथा नवीन खसरा नंबर 263/62 रकबा 2.14 हैक्टर बारानी भूमि तथा खसरा नंबर 264/62 रकबा 0.0600 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन रास्ता भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है जो नियमानुसार दर्ज किया गया है जो सभी के हितों और सुखाधिकारों को ध्यान में रखते हुए रास्ता का अंकन किया गया है जिसके लिए खातेदार सहमत है। उक्त अपील में इंद्राज मल सैनी द्वारा खातेदारों को गुमराह करके बटवारा दावा करने के लिए हस्ताक्षर करवाए गए थे जबकि हमें भूमि खसरा नंबर 62 के खातेदारों के बनियाला नगर में ढाणी दीनाकाली से नदी तक गांव एवं ढाणियों और खेतों में जाने वाले पुराने समय से प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने बाबत कोई ऐतराज नहीं है सभी सहमत हैं जिसके लिए हम खातेदारों के भूमि खसरा नंबर 62 रकबा 2.20 है0, नया ख.न. 263/62 रकबा 2.14 है0 बारानी 2, ख.न. 264/62 रकबा 0.06 है0 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नियमानुसार आदेश से सहमति जताई है। 50 रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर बयान शपथ पत्र पर लिखित कर नोटरी पब्लिक तस्दीक कर स्वेच्छा से किया है। न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है जिसको अवलोकनार्थ पेश पूर्व में किया गया है। अपीलांट संख्या 4, 8, 9 व 15 द्वारा उक्त अपील को नहीं चलाने बाबत भी निवेदन किया है इसलिए उक्त अपील खारिज फरमाई जावे। राजस्व गांव बनियाला नगर पटवार हल्का मांकड़ी तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 49 के खसरा नंबर 263/62 रकबा 2.14 है0 बारानी 2, ख.न. 264/62 रकबा 0.06 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता तथा ख.न. 61 रकबा 0.01 है0, गैर मुमकिन कुआ दर्ज है कुल किता–3 कुल रकबा 2.21 हैक्टर का मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2075–78 में अपीलान्ट संख्या 4 राजू सैनी पुत्र बालूराम सैनी का हिस्सा 1/20, अपीलान्ट संख्या 8 संतोष कुमार सैनी पुत्र नेतराम का हिस्सा 1/40, अपीलान्ट संख्या 9 पूरण सैनी पुत्र नेतराम सैनी हिस्सा 1/40 तथा अपीलान्ट संख्या 15 लूणी देवी पत्नी नेतराम सैनी का हिस्सा 1/40 राजस्व रिकॉर्ड भूमि खातेदार क़ाश्तकार दर्ज हैं। जबकि राजू सैनी अपीलान्ट संख्या 4 जो कि इंद्राजमल सैनी अपीलान्ट संख्या 01 सगे भाई हैं तथा जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र बालूराम हिस्सा 1/20 को पार्टी पक्षकार नहीं बनाया जो भी अपीलान्ट का सगा भाई है। जिनके द्वारा रास्ते की सहमति दिया पुराना प्रचलित बाहरमासी रास्ता जो पूर्वजों के समय से सुख सुविधाओं रास्ता आवागमन रास्ता चालू है जिसका उपयोग सभी खातेदार व ढाणियों के लोगों द्वारा उपयोग के लिए रास्ता चालू है जिसमें मोहर्रम भी डाली हुई है इसलिए उक्त रास्ता यथावत रखा जावे तथा अपील खारिज फरमाई जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट संख्या 01 इंद्राज मल सैनी पुत्र बालूराम जो एक मुकदमेबाज चतुर चालक और झगड़ालू प्रवृति का है जो सह खातेदार है जिसके द्वारा नाजायत

परेशान करने की नियत से अपील की गई है उक्त अपील जमाबंदी रिकॉर्ड के अनुसार सभी प्रभावित खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इंद्राज मल सैनी अपीलान्ट संख्या 01 द्वारा जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदार नहीं है उनको भी अपील में अपीलान्ट संख्या 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 को प्रभावी पक्षकार बनाया गया है जो विधि विरुद्ध है जो खातेदार ही नहीं है अपने परिवारजनों के लोगों को बनाया गया है। जिनके नाम से कोई खातेदारी दर्ज नहीं है। क्योंकि सभी खसरा नंबर 62 के सभी जमाबंदी में दर्ज खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था परंतु प्रभावित लोगों को पक्षकार नहीं बनाया गया जो कि विधिक प्रक्रिया है इसलिए उक्त अपील को खारिज की जावे। दिनांक 03.12.2024 को गांव के सभी मौजूद लोगों के सामने एक समझौता पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर 500 रूपये पर लिखा गया है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 07 धर्मपाल यादव पुत्र गणेश राम तथा धनशीराम सैनी पुत्र हनुमान, इंद्राज मल सैनी पुत्र बालूराम, पूरण सैनी पुत्र नेतराम सैनी के मध्य समझौता पत्र तस्दीक नोटरी पब्लिक तस्दीक हस्ताक्षर रजिस्टर्ड गवाहों के समकक्ष करवाया गया है जिस पर सभी की फोटो लगी है दोनों पक्षों द्वारा सहमति जताई है और अपील भी विड्रा करने को लिखा गया था और जिसकी प्रति का अवलोकनार्थ पूर्व में पेश की गई है। जिसमें उक्त रास्ता विधिक प्रक्रिया के तहत दर्ज किया गया किसी को कोई एतराज और आपत्ति नही है इसलिए उक्त अपील खारिज फरमाई जावे। अपील में इंद्राज मल सैनी पुत्र बालूराम द्वारा अन्य खातेदार खसरा नंबर 62 जमाबंदी रिकॉर्ड के अनुसार राजेश कुमार सैनी पुत्र बुधराम हिस्सा 1/120, बसंती देवी पत्नी बुधराम सैनी हिस्सा 1/120, जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र बालूराम सैनी हिस्सा 1/20 जो सगा भाई है, गिंदा देवी पुत्री नेतराम सैनी हिस्सा 1/40, चंदा देवी पुत्री नेतराम सैनी हिस्सा 1/40, बनारसी देवी पुत्री नेतराम सैनी हिस्सा 1/40 तथा मंजू देवी पुत्री नेतराम सैनी हिस्सा 1/40 राजस्व रिकॉर्ड खसरा नंबर 263/62 रकबा 2.14 हैक्टर भूमि बारानी 2, ख. नं. 264/62 रकबा 0.06 हैक्टर रकबा गैर मुमकिन रास्ता भूमि दर्ज है। इन सभी खातेदारों को पक्षकार जानबूझकर नहीं बनाया गया है जो विधि विरुद्ध है जिससे खातेदार आवश्यक रूप से पक्षकार बनाए जाने चाहिए। जबकि उक्त रास्ता विधिक प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के आदेश मौका रिपोर्ट और प्रचलित पुराने बाहरमासी रास्ता सुख सुविधाओं और सुखाधिकारों को ध्यान में रखते हुए सहमति से प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा लेकर प्रशासन गांवों के संग अभियान में भूमि रास्ता मौका देखते हुए दर्ज किया गया है। उक्त सभी प्रभावित खातेदारों द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर 50 रूपये पर नोटरी पब्लिक तस्दीक कर पूर्व में पेश किया गया जिनका अवलोकन किया जावे तथा सभी खातेदारों भूमि खसरा नंबर द्वारा सहमति रास्ता दी गई की ढाणी दीनाकाला रास्ता नदी तक बनियाला नगर को यथावत चालू रखा जावे। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और उक्त अपील बिना आधार मय हर्जा खर्चा अपील निरस्त फरमाई जावे। उक्त कदीमी बाहरमासी प्रचलित रास्ता सभी खातेदारों की सहमति से भूमि बटवारा किया तब रास्ता छोड़कर बटवारा किया गया था तथा उक्त खसरा नम्बर खातेदार सन्तोष, पूरन, राजेश राजू पुत्र बालूराम के बने हुए इसलिए उक्त रास्ता ही काम आ रहा है। अत श्रीमानजी अपीलार्थीगण संख्या 4, 8, 9 और 15 की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील में पेश सभी दस्तावेजात और रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाकर न्यायहित में उक्त अपील को खारिज फरमाई जाने की कृपा करे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प मांकडी में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु ग्राम

बणियालानगर पटवार मण्डल मांकडी स्थित भूमि खसरा नम्बर 62 में होता हुआ ढ़ाणी दीनाकाला से नदी की और का प्रस्ताव, राजस्व रिकार्ड मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया। उक्त रास्ता मौके पर बारहमासी चलना बताया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है कि संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एवं नक्शे में तरमीम की जावें गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2021 पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2021 पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

8. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर में एक अपील अंतर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में विरुद्ध आदेश दिनांक 20.11.2021 प्रकरण संख्या 1775/2021 द्वारा पारित उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर के आदेश के विरुद्ध पेश की गई थी। जिसमें प्रार्थीगण को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बनाया गया उक्त पुराना अपील संख्या 69/2022 और नया अपील संख्या 265/2025 नाम दर्ज है। खातेदारों और राजस्व गांव बनियाला नगर जनता की मांग पर ग्राम पंचायत माकड़ी द्वारा ग्राम सभा और पंचायत मीटिंग में प्रस्ताव और अनापत्ति प्रमाण पत्र सर्व सहमति से जारी किया गया है गांव बनियाला नगर में ढाणी दीनाकाली से नदी तक पुराने बाहर मासी प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे तथा जबकि उक्त रास्ता विधिक प्रक्रिया से मौके पर सहमति से प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में मौके पर हल्का पटवारी, गिरदावर सर्किल मंडोली और तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा सभी की मौजूदगी में मौका और नक्शा रिपोर्ट तैयार कर किया गया और मौके पर मौजूद खातेदारों द्वारा कोई ऐतराज नहीं करने पर सहमति से खसरा नंबर 62 रकबा 2.20 हेक्टर के खातेदार जिनका राजस्व रिकॉर्ड और जमाबंदी रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज से रास्ता भूमि का आदेश विधिक प्रक्रिया से जारी गया है तथा सभी हिस्से खातेदार भी हिस्सा भूमि में कब्जा काश्त खातेदार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत मांकड़ी द्वारा सर्व सहमति से प्रस्ताव ग्राम पंचायत कोरम द्वारा सर्व सहमति से प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 02.10.2021 को लिया गया था कि ढाणी दीनाकाली बनियाला नगर से नदी की और पुराना प्रचलित बाहरमासी रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में कटान करने बाबत लिया गया था तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है जिसमें हम खातेदार रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत सहमत हैं जिसकी फर्द मौका नक्शा रिपोर्ट हल्का पटवारी, मांकड़ी, गिरदावर सर्किल मंडोली और तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने उपरांत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

20.11.2021 को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकन का आदेश दिया गया ख. नं. 62 रकबा 2.20 हेक्टर भूमि बारानी 2 में बाहरमासी प्रचलित रास्ता भूमि में न्यायालय आदेशानुसार नामांतकरण संख्या 145 दिनांक 18.01.2022 को दर्ज किया गया तथा नवीन खसरा नंबर 263/62 रकबा 2.14 हैक्टर बारानी 2 भूमि तथा खसरा नंबर 264/62 रकबा 0.0600 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन रास्ता भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है जो नियमानुसार दर्ज किया गया है जो सभी के हितों और सुखाधिकारों को ध्यान में रखते हुए रास्ता का अंकन किया गया है जिसके लिए खातेदार सहमत है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में कोरम और ग्राम जनता की सर्व सहमति से प्रस्ताव लिया गया है जो ढाणी दीनाकाली से नदी तक बनियाला नगर में पूर्वजों के समय से प्रचलित बाहरमासी रास्ता चालू था जो विधि संवत रूप से जनहित रास्ता का अंकन किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज फरमाई जावे।

उक्त विवादग्रस्त रास्ते में खसरा नंबर 62 रकबा 2.20 हैक्टर बारानी 2 जो नया खसरा नंबर 263/62 रकबा 2.14 हैक्टर बारानी 2 और खसरा नंबर 264/62 रकबा 0.06 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज में लगभग 19 खातेदार लोगों जमाबंदी रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि मात्र 11 लोगों द्वारा अपील में अपीलाधीन आदेश में चुनौती दी गई है जिसमें से लगभग 8 लोग कोई रिकॉर्ड में खातेदार भी दर्ज नहीं हैं जो अपीलार्थीगण संख्या 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 पर नाम अपील में नियम विरुद्ध बिना खातेदारी के अपने परिवार के लोगों को बनाया गया और अन्य खातेदारों द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है। अपीलार्थी संख्या 01 इंद्राजमल सैनी पुत्र बालूराम अपील में पक्षकार अपीलार्थी संख्या–4, 8, 9, 15 क्रमशः राजू सैनी पुत्र बालूराम, संतोष कुमार सैनी पुत्र नेतराम, पूरण सैनी पुत्र नेतराम, लूणी देवी पत्नी नेतराम सैनी द्वारा माननीय न्यायालय अति० सम्भागीय आयुक्त जयपुर में शपथ पत्र पेश किया उनको गुमराह करके बटवारा दावा करने का कहकर हस्ताक्षर करवाए गए हैं जो उक्त अपील को नहीं चलाने बाबत भी निवेदन किया गया है। उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5 सजना देवी, सावित्री पुत्री नेतराम सैनी और संदीप पुत्र बुधराम सैनी द्वारा भी गांव बनियाला नगर में ढाणी दीनाकाली से नदी तक पुराने बाहरमासी प्रचलित रास्ता को निकालने बाबत सहमति और शपथ–पत्र बयान पेश किया है। इसलिए उक्त अपील को खारिज फरमाई जावे। उक्त अपील में इंद्राज मल सैनी द्वारा खातेदारों को गुमराह करके बटवारा दावा करने के लिए हस्ताक्षर करवाए गए थे जबकि हम भूमि खसरा नंबर 62 के खातेदारों के बनियाला नगर में ढाणी दीनाकाली से नदी तक गांव एवं ढाणियों और खेतों में जाने वाले पुराने समय से प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने बाबत कोई ऐतराज नहीं है सभी सहमत हैं जिसके लिए हम खातेदारों भूमि खसरा नंबर 62 रकबा 2.20 है० नया ख.न. 263/62 रकबा 2.14 है० बारानी 2, ख.न. 264/62 रकबा 0.06 है० गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नियमानुसार दर्ज आदेश से सहमति जताई है। 50 रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर बयान शपथ पत्र पर लिखित कर नोटरी पब्लिक तस्दीक कर स्वेच्छा से न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है जिसको अवलोकनार्थ पेश पूर्व में किया गया है। अपीलांट संख्या 4, 8, 9, 15 द्वारा उक्त अपील को नहीं चलाने बाबत भी निवदेन किया है इसलिए उक्त अपील खारिज फरमाई जावे। राजस्व गांव बनियाला नगर पटवार हल्का मांकड़ी तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 49 के खसरा नंबर 263/62 रकबा 2.14 है0 बारानी–2 ख.न. 264/62 रकबा 0.06 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता तथा ख.न. 61 रकबा 0.01 है० गैर मुमकिन कुआ दर्ज है कुल किता–3 कुल रकबा 2.21 हैक्टर का मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2075–78 में अपीलान्ट संख्या 04 राजू सैनी पुत्र बालूराम सैनी का हिस्सा 1/20, अपीलान्ट संख्या 08 संतोष कुमार सैनी पुत्र नेतराम का हिस्सा 1/40,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट संख्या 09 पूरण सैनी पुत्र नेतराम सैनी हिस्सा 1/40 तथा अपीलान्ट संख्या 15 लूणी देवी पत्नी नेतराम सैनी का हिस्सा 1/40 राजस्व रिकॉर्ड भूमि खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। जबकि राजू सैनी अपीलान्ट संख्या 04 जो कि इंद्राजमल सैनी अपीलान्ट संख्या 01 सगे भाई हैं तथा जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र बालूराम हिस्सा 1/20 को पार्टी पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलान्ट संख्या 4 राजू सैनी पुत्र बालूराम और जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र बालूराम दोनों ही अपीलान्ट संख्या 01 के सगे भाई हैं तथा बराबर खातेदार और हिस्सेदार है जो अपने शपथ पत्र बयान न्यायालय में पेश किया गया है। जिनके द्वारा रास्ते की सहमति दिया पुराना प्रचलित बाहरमासी रास्ता जो पूर्वजों के समय से सुख–सुविधाओं रास्ता आवागमन रास्ता चालू है जिसका उपयोग सभी खातेदार व ढाणियों के लोगों द्वारा उपयोग के लिए रास्ता चालू है जिसमें मोहर्रम भी डाली हुई है इसलिए उक्त रास्ता यथावत रखा जावे तथा अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलान्ट संख्या 01 इंद्राज मल सैनी पुत्र बालूराम जो एक मुकदमेबाज चतुर चालक और झगड़ालू प्रवृति का है जो सह खातेदार है जिसके द्वारा नाजायत परेशान करने की नियत से अपील की गई है उक्त अपील जमाबंदी रिकॉर्ड के अनुसार सभी प्रभावित खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इंद्राज मल सैनी द्वारा जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदार नहीं है उनको भी अपील में अपीलान्ट संख्या 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 को प्रभावी पक्षकार बनाया गया है जो विधि विरुद्ध है जो खातेदार ही नहीं है अपने परिवारजनों के लोगों को बनाया गया है। जिनके नाम से कोई खातेदारी दर्ज नहीं है। क्योंकि सभी खसरा नंबर 62 के सभी जमाबंदी में दर्ज खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था परंतु प्रभावित लोगों को पक्षकार नहीं बनाया गया जो कि विधिक प्रक्रिया है इसलिए उक्त अपील को खारिज की जावे। दिनांक 3.12.2024 को गांव के सभी मौजूद लोगों के सामने एक समझौता पत्र नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर 500 रूपये पर लिखा गया हैं जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 07 धर्मपाल यादव पुत्र गणेश राम तथा धनशीराम सैनी पुत्र हनुमान, इंद्राज मल सैनी पुत्र बालूराम, पूरण सैनी पुत्र नेतराम सैनी के मध्य समझौता पत्र तस्दीक नोटरी पब्लिक तस्दीक हस्ताक्षर रजिस्टर्ड गवाहों के समकक्ष करवाया गया है जिस पर सभी की फोटो लगी है दोनों पक्षों द्वारा सहमति जताई है और अपील भी विड्रा करने को लिखा गया था और जिसकी प्रति का अवलोकनार्थ पूर्व में पेश की गई है। जिसमें उक्त रास्ता विधिक प्रक्रिया के तहत दर्ज किया गया किसी को कोई एतराज और आपत्ति नही है इसलिए उक्त अपील खारिज फरमाई जावे। अपील में इंद्राज मल सैनी पुत्र बालूराम द्वारा अन्य खातेदार खसरा नंबर 62 नया खसरा नंबर 263/62 रकबा 2.14 है0, बारानी 2 और खसरा नंबर 264/62 रकबा 0.06 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता जमाबंदी रिकॉर्ड के अनुसार राजेश कुमार सैनी पुत्र बुधराम हिस्सा 1/120, बसंती देवी पत्नी बुधराम सैनी हिस्सा 1/120, जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र बालूराम सैनी हिस्सा 1/20 जो सगा भाई है, गिंदा देवी पुत्री नेतराम सैनी हिस्सा 1/40, चंदा देवी पुत्री नेतराम सैनी हिस्सा 1/40, बनारसी देवी पुत्री नेतराम सैनी हिस्सा 1/40 तथा मंजू देवी पुत्री नेतराम सैनी हिस्सा 1/40 राजस्व रिकॉर्ड ख.नं. 263/62 रकबा 2.14 हैक्टर भूमि बारानी 2, ख. नं. 264/62 रकवा 0.06 हैक्टर रकबा गैर मुमकिन रास्ता भूमि दर्ज है। उक्त रास्ता अंकन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा उक्त आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं है अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है किसी खातेदार और पक्षकार के अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा है जबकि अपीलार्थी इंद्राज मल सैनी द्वारा इन सभी खातेदारों को पक्षकार जानबूझकर नहीं बनाया गया है जो विधि विरुद्ध है जिससे खातेदार आवश्यक रूप से पक्षकार बनाए जाने चाहिए। जबकि उक्त रास्ता विधिक प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के आदेश मौका रिपोर्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

और प्रचलित पुराने बाहरमासी रास्ता सुख सुविधाओं और सुखाधिकारों को ध्यान में रखते हुए सहमति से प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा लेकर प्रशासन गांवों के संग अभियान में भूमि रास्ता मौका देखते हुए दर्ज किया गया है। उक्त सभी प्रभावित खातेदारों द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर 50 रूपये पर नोटरी पब्लिक तस्दीक कर पूर्व में पेश किया गया जिनको अवलोकन किया जावे तथा सभी खातेदारों भूमि खसरा नंबर द्वारा सहमति रास्ता दी गई की ढाणी दीनाकाली रास्ता नदी तक बनियाला नगर को यथावत चालू रखा जावे। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और उक्त अपील बिना आधार मय हर्जा खर्चा अपील निरस्त फरमाई जावे। अतः रेस्पोडेंट संख्या 2 ग्राम पंचायत मांकड़ी जरिए सरपंच/प्रशासक की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील में पेश सभी दस्तावेजात और रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाकर न्यायहित में उक्त अपील को खारिज फरमाई जाने की कृपा करे।

9. रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5 व 7 के अधिवक्ता ने दौराने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर में एक अपील अंतर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में विरुद्ध आदेश दिनांक 20.11.2021 प्रकरण संख्या 1775/2021 द्वारा पारित उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर के आदेश के विरुद्ध पेश की गई थी। जिसमें प्रार्थीगण को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बनाया गया उक्त पुराना अपील संख्या 69/2022 और नया अपील संख्या 265/2025 नाम दर्ज है। खातेदारों और राजस्व गांव बनियाला नगर जनता की मांग पर ग्राम पंचायत माकड़ी द्वारा ग्राम सभा और पंचायत मीटिंग में प्रस्ताव और अनापत्ति प्रमाण पत्र सर्व सहमति से जारी किया गया है गांव बनियाला नगर में ढाणी दीनाकाली से नदी तक पुराने बाहर मासी प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे तथा जबकि उक्त रास्ता विधिक प्रक्रिया से मौके पर सहमति से प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में मौके पर हल्का पटवारी, गिरदावर सर्किल मंडोली और तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा सभी की मौजूदगी में मौका और नक्शा रिपोर्ट तैयार कर किया गया और मौके पर मौजूद खातेदारों द्वारा कोई ऐतराज नहीं करने पर सहमति से खसरा नंबर 62 रकबा 2.20 हेक्टर के खातेदार जिनका राजस्व रिकॉर्ड और जमाबंदी रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज से रास्ता भूमि का आदेश विधिक प्रक्रिया से जारी गया है तथा सभी हिस्से खातेदार भी हिस्सा भूमि में कब्जा काश्त खातेदार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत मांकड़ी द्वारा सर्व सहमति से प्रस्ताव ग्राम पंचायत कोरम द्वारा सर्व सहमति से प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 02.10.2021 को लिया गया था कि ढाणी दीनाकाली बनियाला नगर से नदी की और पुराना प्रचलित बाहरमासी रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में कटान करने बाबत लिया गया था तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है जिसमें हम खातेदार रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत सहमत हैं जिसकी फर्द मौका नक्शा रिपोर्ट हल्का पटवारी, मांकड़ी, गिरदावर सर्किल मंडोली और तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने उपरांत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा दिनांक 20.11.2021 को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकन का आदेश दिया गया ख. नं. 62 रकबा 2.20 हेक्टर भूमि बारानी 2 में बाहरमासी प्रचलित रास्ता भूमि में न्यायालय आदेशानुसार नामांतकरण संख्या 145 दिनांक 18.01.2022 को दर्ज किया गया तथा नवीन खसरा नंबर 263/62 रकबा 2.14 हैक्टर बारानी 2 भूमि तथा खसरा नंबर 264/62 रकवा 0.0600 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन रास्ता भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है जो नियमानुसार दर्ज किया गया है जो सभी के हितों और सुखाधिकारों को ध्यान में रखते हुए रास्ता का अंकन किया गया है जिसके लिए खातेदार सहमत है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में कोरम और ग्राम जनता की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सर्व सहमति से प्रस्ताव लिया गया है जो ढाणी दीनाकाली से नदी तक बनियाला नगर में पूर्वजों के समय से प्रचलित बाहरमासी रास्ता चालू था जो विधि संवत रूप से जनहित रास्ता का अंकन किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज फरमाई जावे।

उक्त विवादग्रस्त रास्ते में खसरा नंबर 62 रकबा 2.20 हैक्टर बारानी 2 जो नया खसरा नंबर 263/62 रकबा 2.14 हैक्टर बारानी 2 और खसरा नंबर 264/62 रकबा 0.06 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज में लगभग 19 खातेदार लोगों जमाबंदी रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि मात्र 11 लोगों द्वारा अपील में अपीलाधीन आदेश में चुनौती दी गई है जिसमें से लगभग 8 लोग कोई रिकॉर्ड में खातेदार भी दर्ज नहीं हैं जो अपीलार्थीगण संख्या 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 पर नाम अपील में नियम विरुद्ध बिना खातेदारी के अपने परिवार के लोगों को बनाया गया और अन्य खातेदारों द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है। अपीलार्थी संख्या 01 इंद्राजमल सैनी पुत्र बालूराम अपील में पक्षकार अपीलार्थी संख्या– 4, 8, 9, 15 क्रमशः राजू सैनी पुत्र बालूराम, संतोष कुमार सैनी पुत्र नेतराम, पूरण सैनी पुत्र नेतराम, लूणी देवी पत्नी नेतराम सैनी द्वारा माननीय न्यायालय अति० सम्भागीय आयुक्त जयपुर में शपथ पत्र पेश किया उनको गुमराह करके बटवारा दावा करने का कहकर हस्ताक्षर करवाए गए हैं जो उक्त अपील को नहीं चलाने बाबत भी निवेदन किया गया है। उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5 सजना देवी, सावित्री पुत्री नेतराम सैनी और संदीप पुत्र बुधराम सैनी द्वारा भी गांव बनियाला नगर में ढाणी दीनाकाली से नदी तक पुराने बाहरमासी प्रचलित रास्ता को निकालने बाबत सहमति और शपथ–पत्र बयान पेश किया है। इसलिए उक्त अपील को खारिज फरमाई जावे। उक्त अपील में इंद्राज मल सैनी द्वारा खातेदारों को गुमराह करके बटवारा दावा करने के लिए हस्ताक्षर करवाए गए थे जबकि हम भूमि खसरा नंबर 62 के खातेदारों के बनियाला नगर में ढाणी दीनाकाली से नदी तक गांव एवं ढाणियों और खेतों में जाने वाले पुराने समय से प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने बाबत कोई ऐतराज नहीं है सभी सहमत हैं जिसके लिए हम खातेदारों भूमि खसरा नंबर 62 रकबा 2.20 है० नया ख.न. 263/62 रकबा 2.14 है० बारानी 2, ख.न. 264/62 रकबा 0.06 है० गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नियमानुसार दर्ज आदेश से सहमति जताई है। 50 रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर बयान शपथ पत्र पर लिखित कर नोटरी पब्लिक तस्दीक कर स्वेच्छा से न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है जिसको अवलोकनार्थ पेश पूर्व में किया गया है। अपीलांट संख्या 4, 8, 9, 15 द्वारा उक्त अपील को नहीं चलाने बाबत भी निवदेन किया है इसलिए उक्त अपील खारिज फरमाई जावे। राजस्व गांव बनियाला नगर पटवार हल्का मांकड़ी तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 49 के खसरा नंबर 263/62 रकबा 2.14 है० बारानी–2 ख.न. 264/62 रकबा 0.06 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता तथा ख.न. 61 रकबा 0.01 है० गैर मुमकिन कुआ दर्ज है कुल किता–3 कुल रकबा 2.21 हैक्टर का मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2075–78 में अपीलान्ट संख्या 04 राजू सैनी पुत्र बालूराम सैनी का हिस्सा 1/20, अपीलान्ट संख्या 08 संतोष कुमार सैनी पुत्र नेतराम का हिस्सा 1/40, अपीलान्ट संख्या 09 पूरण सैनी पुत्र नेतराम सैनी हिस्सा 1/40 तथा अपीलान्ट संख्या 15 लूणी देवी पत्नी नेतराम सैनी का हिस्सा 1/40 राजस्व रिकॉर्ड भूमि खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। जबकि राजू सैनी अपीलान्ट संख्या 04 जो कि इंद्राजमल सैनी अपीलान्ट संख्या 01 सगे भाई हैं तथा जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र बालूराम हिस्सा 1/20 को पार्टी पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलान्ट संख्या 4 राजू सैनी पुत्र बालूराम और जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र बालूराम दोनों ही अपीलान्ट संख्या 01 के सगे भाई हैं तथा बराबर खातेदार और हिस्सेदार है जो अपने शपथ पत्र बयान न्यायालय में पेश किया गया है। जिनके द्वारा रास्ते की सहमति दिया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पुराना प्रचलित बाहरमासी रास्ता जो पूर्वजों के समय से सुख–सुविधाओं रास्ता आवागमन रास्ता चालू है जिसका उपयोग सभी खातेदार व ढाणियों के लोगों द्वारा उपयोग के लिए रास्ता चालू है जिसमें मोहर्रम भी डाली हुई है इसलिए उक्त रास्ता यथावत रखा जावे तथा अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलान्ट संख्या 01 इंद्राज मल सैनी पुत्र बालूराम जो एक मुकदमेबाज चतुर चालक और झगड़ालू प्रवृति का है जो सह खातेदार है जिसके द्वारा नाजायत परेशान करने की नियत से अपील की गई है उक्त अपील जमाबंदी रिकॉर्ड के अनुसार सभी प्रभावित खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इंद्राज मल सैनी द्वारा जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदार नहीं है उनको भी अपील में अपीलान्ट संख्या 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 को प्रभावी पक्षकार बनाया गया है जो विधि विरुद्ध है जो खातेदार ही नहीं है अपने परिवारजनों के लोगों को बनाया गया है। जिनके नाम से कोई खातेदारी दर्ज नहीं है। क्योंकि सभी खसरा नंबर 62 के सभी जमाबंदी में दर्ज खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था परंतु प्रभावित लोगों को पक्षकार नहीं बनाया गया जो कि विधिक प्रक्रिया है इसलिए उक्त अपील को खारिज की जावे। दिनांक 3.12.2024 को गांव के सभी मौजूद लोगों के सामने एक समझौता पत्र नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर 500 रूपये पर लिखा गया है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 07 धर्मपाल यादव पुत्र गणेश राम तथा धनशीराम सैनी पुत्र हनुमान, इंद्राज मल सैनी पुत्र बालूराम, पूरण सैनी पुत्र नेतराम सैनी के मध्य समझौता पत्र तस्दीक नोटरी पब्लिक तस्दीक हस्ताक्षर रजिस्टर्ड गवाहों के समकक्ष करवाया गया है जिस पर सभी की फोटो लगी है दोनों पक्षों द्वारा सहमति जताई है और अपील भी विड्रा करने को लिखा गया था और जिसकी प्रति का अवलोकनार्थ पूर्व में पेश की गई है। जिसमें उक्त रास्ता विधिक प्रक्रिया के तहत दर्ज किया गया किसी को कोई एतराज और आपत्ति नही है इसलिए उक्त अपील खारिज फरमाई जावे। अपील में इंद्राज मल सैनी पुत्र बालूराम द्वारा अन्य खातेदार खसरा नंबर 62 नया खसरा नंबर 263/62 रकबा 2.14 है0, बारानी 2 और खसरा नंबर 264/62 रकबा 0.06 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता जमाबंदी रिकॉर्ड के अनुसार राजेश कुमार सैनी पुत्र बुधराम हिस्सा 1/120, बसंती देवी पत्नी बुधराम सैनी हिस्सा 1/120, जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र बालूराम सैनी हिस्सा 1/20 जो सगा भाई है, गिंदा देवी पुत्री नेतराम सैनी हिस्सा 1/40, चंदा देवी पुत्री नेतराम सैनी हिस्सा 1/40, बनारसी देवी पुत्री नेतराम सैनी हिस्सा 1/40 तथा मंजू देवी पुत्री नेतराम सैनी हिस्सा 1/40 राजस्व रिकॉर्ड ख.नं. 263/62 रकबा 2.14 हैक्टर भूमि बारानी 2, ख. नं. 264/62 रकबा 0.06 हैक्टर रकबा गैर मुमकिन रास्ता भूमि दर्ज है। उक्त रास्ता अंकन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा उक्त आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं है अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है किसी खातेदार और पक्षकार के अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा है जबकि अपीलार्थी इंद्राज मल सैनी द्वारा इन सभी खातेदारों को पक्षकार जानबूझकर नहीं बनाया गया है जो विधि विरुद्ध है जिससे खातेदार आवश्यक रूप से पक्षकार बनाए जाने चाहिए। जबकि उक्त रास्ता विधिक प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के आदेश मौका रिपोर्ट और प्रचलित पुराने बाहरमासी रास्ता सुख सुविधाओं और सुखाधिकारों को ध्यान में रखते हुए सहमति से प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा लेकर प्रशासन गांवों के संग अभियान में भूमि रास्ता मौका देखते हुए दर्ज किया गया है। उक्त सभी प्रभावित खातेदारों द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर 50 रूपये पर नोटरी पब्लिक तस्दीक कर पूर्व में पेश किया गया जिनको अवलोकन किया जावे तथा सभी खातेदारों भूमि खसरा नंबर द्वारा सहमति रास्ता दी गई की ढाणी दीनाकाली रास्ता नदी तक बनियाला नगर को यथावत चालू रखा जावे। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अपीलार्थी इंद्राजमल सैनी द्वारा परेशान और आर्थिक, मानसिक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नुकसान पहुंचाने की नियत से किया गया है इसलिए उक्त अपील बिना आधार मय हर्जा खर्चा अपील निरस्त फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 07 धर्मपाल यादव पुत्र गणेश राम यादव को माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर द्वारा प्रभावी पक्षकार मानते हुये प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 एवं धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार करके रेस्पोडेन्ट संख्या 07 बनाए जाने के आदेश फरमाए गए क्योंकि प्रार्थी रास्ता बनियाला नगर में ढाणी दीनाकाली से नदी तक पुराने समय से प्रचलित बाहरमासी ढाणियों और खेतों में आगमन साधनों और स्कूल बस और कृषि, ट्रैक्टर ट्रौली और चिकित्सा, पानी, सुख–सुविधाओं के लिए आवश्यक सुख सुविधाओं अधिकारों तथा सुखाधिकारों के लिए आवश्यक रूप से सभी मूलभूत सुविधाओं रास्ता आवागमन चालू होने पर आबादी में काम आता है। उक्त रास्ता विधिक प्रक्रिया से मौके पर रिपोर्ट तैयार करके पूर्वजों के समय से प्रचलित बाहरमासी रास्ता का अकाने राजस्व रिकॉर्ड बाबत सहमति पंचायत ओर खातेदारों के सहमति से प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा लेकर किया गया ग्राम पंचायत और ग्रामीण जनता कि शिकायत पर उक्त रास्ता को कई बार इंद्राजमल सैनी द्वारा अवरोध पैदा करने पर प्रशासन द्वारा पाबंद करके खुलवाया गया है जिसके दस्तावेजात फर्द मौका रिपोर्ट प्रतियों का अवलोकन फरमाया जावे। जो वर्तमान में रास्ता चालू है इसलिए उक्त अपील को न्यायहित में निरस्त फरमाई जावे। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5 व 7 की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील में पेश सभी दस्तावेजात और रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाकर न्यायहित में उक्त अपील को खारिज फरमाई जाने की कृपा करे।

10. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 08.04.2022 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत मांकड़ी पंचायत समिति नीमकाथाना, जिला सीकर के प्रस्ताव संख्या 3 बैठक दिनांक 02.10.2021 व ढाणी दीनाकाला (बनियालानगर) से नदी की ओर मौके पर कदीमी प्रचलित रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित अनापत्ति प्रमाण पत्र व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट–04 दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प मांकडी में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु ग्राम बणियालानगर पटवार मण्डल मांकडी स्थित भूमि खसरा नम्बर 62 में होता हुआ ढाणी दीनाकाला से नदी की ओर का प्रस्ताव, राजस्व रिकार्ड मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया। उक्त रास्ता मौके पर बारहमासी चलना बताया गया है।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिये गये कि संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एवं नक्शे में तरमीम की जावें गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2021 पारित किये गये। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश में पक्षकार नही बनाया गया है ना ही उसे कोई नोटिस दिया गया है। जिसके कारण अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स को सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.11.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.11.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर